न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना जिला डीडवाना कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 267/2016
सी.आई.एस.सं. :– 321/2016

राजस्थान राज्य –अभियोगी

बनाम

पीरदान सिंह पुत्र छोटूसिंह उम्र 63 साल निवासी हरनावा पीएस गच्छीपुरा हाल 613 ए अनुपम नगर भोपों का बाड़ा अजमेर पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर।
–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–
1. राज्य की ओर से :– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्त की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह राठौड़।

–::निर्णय::– **दिनांकः–30.05.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी व अन्य द्वारा एक लिखत परिवाद इस आश्य का प्राप्त हुआ कि परिवादीगण ग्राम हरनावां पट्टी के स्थायी निवासी है तथा सैकडो सालो से परिवादीगण के पूर्वज बसे हुए है। परिवादीगण के अचल सम्पति कृषि भूमि ग्राम हरनांवा पट्टी मे है अचल सम्पति मे पूर्वजो का बनाया हुआ पुशतैनी मकान स्थित है परिवादीगण के पुश्तैनी मकान के पास मे ही परिवादीगण के पिता को भाई बंटवारा का एक भूखण्ड आबादी क्षेत्र में आया हुआ है। जिसके नापचोप पडौस निम्न है। उत्तर– गली रास्ता, भूजा 30 फीट, दक्षिण हिम्मत सिंह, नन्दसिंह गवैराह, भूजा 30 फीट, पूर्व स्व० सवाई सिंह वर्तमान मे भीमसिंह जी, भूजा 50 फीट, पशिचम आम रास्ता भूजा 50 फीट। उपरोक्त पडौसियान के मध्य स्थित भूमि परिवादीगण के पूर्वजो से प्राप्त भूमि है। पीढी दर पीढी पूर्वजो से प्राप्त हुई है जिसमे परिवादीगण व अभियुक्त चारो सगे भाई है सभी का बराबर समान अधिकार है। परिवादीगण व अभियुक्त ने पानी का हौद, शौचालय, स्नानघर, रसोई, चारो तरफ बाउंड्री इत्यादी निर्माण करा रखा है तथा पानी का कनेक्शन परिवादी संख्या एक के नाम लिया हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पति परिवादीगण एवं अभियुक्त की शामलाती पुश्तैनी रही है। परिवादी संख्या एक सैना में भर्ती हो गए अक्सर सेवारत रहे परिवादी संख्या दो भारतीय सेना में सेवारत रहे तथा परिवादी संख्या तीन भी पुलिस विभाग में सेवारत रहे। अभियुक्त परिवादीगण का भाई है जो गांव मे निवास करता है जिसने परिवादीगण के बिना जानकारी के धोखा कर पंचायत से एक कूटरचित पट्टा बनावाया जिसके पट्टा सं० 187

दिनांक 13.10.1986 की तारीख लगी हुई है। उपरोक्त पट्टा कूटरचित है ग्राम पंचायत हरनांवा मे अभियुक्त ने जूठे तथ्य पेश कर झुठा आवेदन देकर गलत तवज्रों देकर कूटरचित पट्टा बनवाया जबकि ग्राम पंचायत को अभियुक्त के नाम पट्टा जारी करने का अधिकार क्षेत्र नही था। अभियुक्त द्वारा परिवादी की पुश्तैनी सम्पति हडपने के आशय से वर्णित पट्टा जो कूटरचित है नियमानुसार न होकर क्षेत्रधिकार अन्तर्गत नही है सम्पति हडपने की नियत से दस्तावेज तैयार किया है। अभियुक्त ने पंचायत मे बिना किससे विधीक कार्यवाही के बिना जानकारी के स्वंय ही झुठे हस्ताक्षर कर लोक दस्तावेज का दुरूपयोग किया है उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर परिवादीगण के पुश्तैनी सम्पति को हडपने व स्वामी बनने के लिए दुरुपयोग किया है। अभियुक्त का कृत्य आपराधिक कृत्य की परिभाषा मे आता है परिवादीगण की सामाजिक कार्य से ग्राम हरनावां पट्टी आए वर्णीत भूखण्ड मे बैठे थे तब अभियुक्त ताला लगाकर चला गया और फर्जी तरीके से बनाया पट्टा होना जाहीर किया। परिवादीगण ने ग्राम पंचायत मे रिकार्ड प्स करने के लिए आवेदन किया तब दिनांक 13.11.2014 को नकल प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत से जानकारी लेने पर पट्टे से सम्बन्धित कोई पत्रावली नही प्राप्त हुई मात्र कूट रचित पर्जी पट्टा मिला। ....इत्यादि।

2. उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस थाना गच्छीपुरा को प्रेषित किया गया, जिस आधार पर पुलिस थाना गच्छीपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 138/2014 अंतर्गत धारा 420, 465,466,467,468,471 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 465, 467,468,471 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनने के उपरान्त अभियुक्त को धारा 420, 465, 467,468,471 भादस का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 मालसिंह, पी.ड 02 श्रवण सिंह, पी.ड. 03 रावत सिंह, पी.ड. 04. हनुमंत सिंह उर्फ हनुमान सिंह, पी.ड. 05 शिवदानराम चौधरी, पी.ड. 06 सुखाराम, पी.ड. 07 मोतीराम, पी.ड. 08 खींयाराम, पी.ड 9 भीमसिंह , पी.ड 10 शंभुसिंह, पी.ड 11 मंजू चौधरी के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में इस्तगासा प्रदर्श पी–1, मूल पटटा प्रदर्श पी–2, रसीद प्रदर्श पी–3, पंचायत हरनावा द्वारा बनाये गये सदस्यों की सूची प्रदर्श पी–4, पानी का बिल प्रदर्श पी–5, बिल की रसीद प्रदर्श पी–6, न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया गया प्रदर्श पी–7, थानाधिकारी को दी गयी सूचना प्रदर्श पी–8, पटटा संख्या 187 की सूचना थानाधिकारी को दी गयी प्रदर्श पी 9, दो रूपये की रसीद काटी जिसी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी 11 लगायत 39 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड 1 पीरदान सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में राजीनामे की लिखापढी प्रदर्श डी 1,राजीनामे की लिखापढी की प्रति प्रदर्श डी 1ए, ऋण के पैसे जमा

कराने की रसीद प्रदर्श डी 2, ऋण के पैसे जमा कराने की रसीद की प्रति प्रदर्श डी 2ए को प्रदर्शित करवाया।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहे है कि उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्व में सिविल नेचर का प्रकरण माना गया था परंतु परिवादी के पुलिस विभाग में पदस्थापित होने के कारण उसके प्रभाव में गलत रूप से अपराध प्रमाणित मानकर नतीजा पेश किया गया है। प्रकरण में इस प्रकार के कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिस अभियुक्त द्वारा छल कारित कर कूटरचना से कोई दस्तावेज बनाकर उसका उपयोग किया गया था। जिस पटटे के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उससे संबंधित रिकॉर्ड संबंधित पंचायत में पाया गया है एवं तत्कालीन सरपंच द्वारा पटटा जारी किया गया है। पटटे के लिये अभियुक्त द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है, अपितु उसकी माता द्वारा उसके नाम पटटा जारी करवाया गया है एवं उक्त पटटे के आधार पर जो लोन लिया गया वह अभियुक्त द्वारा परिवादीगण के कहने से अभियुक्त व परिवादीगण की बहन की शादी करने के लिये लिया गया था व इन आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किये गये है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुये है। अभियुक्त द्वारा परिवादीगण और उसके भाई है के साथ छल कारित कर शामलाती भूमि का पटटा कूटरचित रूप से बनाकर पटटे के आधार पर लोन लिया गया है व इन आधारों पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.10.1986 से पूर्व हरनावां पट्टी में परिवादी पक्ष को बेईमानीपूर्वक व कपटपूर्वक आशय से प्रवंचित कर छल करने हेतु उत्प्रेरित कर परिवादी पक्ष व आपकी संयुक्त पैतृक सम्पत्ति का पट्टा सं. 187 दिनाक 13.10.86 का झूठे तथ्य पेश कर अपने नाम बनवाकर परिवादी पक्ष से छल किया व संयुक्त स्वामित्व की भूमि का पट्टा अपने नाम करवाने हेतु पंचायत में मिथ्या तथ्य रखकर कूटरचित दस्तावेज प्राप्त किये तथा उक्त पट्टे की कूटरचना की तथा भूमि को हड़पने के लिए हरनावां पंचायत से पट्टा लेकर मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना की व पट्टा सं 187 दिनांक 13.10.86 को कूट रचित दस्तावेज जानते हुए आपने कूटरचित दस्तावेज असली के रूप में उपयोग में लिया?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

9. उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित हो रहा है कि परिवादीगण माल सिंह, हनुमंत सिंह, रावत सिंह जो अभियुक्त पीरदान के भाई है के द्वारा एक लिखित इस्तगाशा न्यायालय में मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम हरनावां पटटी में परिवादीगण की अचल संपत्ति कृषि भूमि स्थित है व वहीं पर उनके पूर्वजों द्वारा बनाये गये शामलाती मकान भी है। जिसका उपयोग पीढी दर पीढी पूर्वजों के समय से वे करते आ रहे है। जिस पर सभी चारों भाईयों का समान अधिकार

है। इस पर पानी का कनेक्शन व बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। अभियुक्त द्वारा परिवादीगण जो उसके भाई है के बिना जानकारी के धोका कर पंचायत से एक कूटरचित पटटा बनवा लिया जिसका पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 की तारीख लिखी हुयी है। जबकि ग्राम पंचायत को अभियुक्त के नाम पढकर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अभियुक्त पंचायत में बिना किसी विधिक कार्यवाही के बिना जानकारी के स्वयं ही झूठे हस्ताक्षर कर लोक दस्तावेज का दुरूपयोग कर कूटरचित दस्तावेज बनाया गया है। उक्त लिखित इस्तगासा को न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना गच्छीपुरा को प्रेषित किया गया है। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2014 अंतर्गत धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान पहली बार प्रकरण को सिविल नेचर का माना गया है। उसके पश्चात धारा 420, 468, 471 में भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर अंतर्गत धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम अनुसंधान पर दिनांक 17.09.2026 को पुरख आरोप पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित पाये गये है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध इन्हीं धाराओं में अपराध का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त को धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये गये है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गवाह पीडब्लयू–1 माल सिंह के रूप में उपस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि करीब दो–ढाई साल पहले की बात है, उनके गांव हरनावा में उनकी पैतृक संम्पति व पुश्तेनी मकान है, बटवारें में उनके पिताजी से उन्हें एक भूखण्ड व बाड़ा जो आबादी क्षेत्र में आता है, मिला था, वे चार भाई जिनको यह भूखण्ड व बाड़ा शामिल में ही मिला था, वह सबसे बड़ा भाई माल सिंह है व दूसरे नंम्बर पर हनुमंत सिंह उर्फ हनुमान सिंह है, तीसरे नंबर पर पीरदान सिंह व चौथे नंबर पर रावत सिंह है। वह और उससे छोटा हणोत सिंह फौज में थे, तीसरे नंबर का भाई पीरदान सिंह गांव में रहता है, चौथे नंबर का भाई रावत सिंह पुलिस में था, तीसरें नंबर का जो भाई पीरदान सिंह, जिसने सब भाईयों को बिना जानकारी दिए पंचायत हरनावा से मिलकर उनसे धोखा कर अपने नाम से पट्टा बनावा लिया, पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 है, पीरदान ने सरपंच में मिलिभगत कर गलत तथ्य पेश कर झूठा आवेदन देकर ग्राम पंचायत से पट्टा अपने नाम से बनवा लिया जबकि यह जमीन पर उन चारों भाई का समान हिस्सा था। पीरदान ने बिना उनसे पूछे यह पट्टा अपने नाम से बना लिया। उसने उसके खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, मूल पट्टा प्रदर्श पी 02 है, जो उसके भाई पीरदान ने सरपंच से मिलकर बनाया था, जो शामिल पत्रावली किया गया है। पीरदान द्वारा दिनांक 13.10.1986 को ग्राम पंचायत समिति हरनावा से 21 रू की रसीद कटाई गई थी जो प्रदर्श पी 03 जो शामिल पत्रावली की गई। ग्राम पंचायत हरनावा द्वारा बनाए गए सदस्यों की सूची प्रदर्श पी 04 है जो शामिल पत्रावली की गई, जिसमें क्रमांक 87 दिनांक 13.10.86 पीरदान पुत्र छोटूसिंह का नाम अंकित है। दिनांक 15.9.2014 को 52 रूपए की पानी का बिल उसके द्वारा इस भुखण्ड का भरा गया जो प्रदर्श पी 05 है व बिल की रसीद प्रदर्श पी 06 है।

पारिवारिक बंटवारे का लिखित इकरारनामा शामिल पत्रावली किया गया । दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि छोटूसिंह के वे चार लडके थे सबसे बड़ा मालसिंह, हनुमान सिंह था जिनका स्वर्गवास हो चुका है। छोटा पीरदान उससे छोटा रावत सिंह है उसने प्रदर्श पी 1 सीधा कोर्ट में इस्तागासा पेश किया था। पुलिस ने जांच करके कोर्ट में एफआर पेश की थी। उसने जब यह मुकदमा दर्ज करवाया तब रावत सिंह आईजी के ड्राईवर था। हवेली उनकी पेतृक थी। जिसमें वे चारों अलग–अलग रहते है। बाडे व हवेली में बिजली कनेक्शन उसके नाम से लिया हुआ था। उसने जब कनेक्शन नहीं लिया तब इनकी लिखित में सहमति नहीं ली थी। जबकी बहनों की शादी की थी तो 13 बीघा जमीन बेचकर करी थी। इस पटटे पर पीरदान सिंह ने लोन 10 हजार का लिया था। जो पीरदान सिंह ने चुका दिया। उसके कोर्ट से पहले कहीं पर बयान नहीं हुये। वह फौज में नौकरी करता था और हनुमान सिंह फौज में व रावत सिंह पुलिस में नौकरी करता था। पीरदान सिंह व रावत सिंह के बीच किस चीज के मुकदमें हुये वे उसे पता नहीं है। पटटे की पत्रावली उसने ग्राम पंचायत हरनावा से निकलवाई थी। उस समय समंदर सिंह जी सरपंच के हाथ से बना हुआ पटटा की पत्रावली मिली। उसकी उनके छोटे भाई हनुमान सिंह के साथ रहती थी। पटटा बनवाया तब माताजी जीवित थी। पटटा अकेले पीरदान सिंह के नाम से बनवाया व पानी, बिजली के कनेक्शन उसके नाम से ही चल रहा है। 1986 में उसकी छोटी बहन संतोष की शादी हुयी। यह कहना गलत है कि संतोष की शादी में पैसे की आवश्यकता होने पर लोन लिया है। वह उस समय फौज में नौकरी करता था तो इसकी पुरी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना सही है कि पटटा निरस्तीकरण हेतु विकास अधिकारी परबतसर के समक्ष पत्र पेश किया है। यह कहना सही है कि पीरदान सिंह ने उक्त प्लॉट पर पटटा बनवाने के बाद निर्माण कार्य नहीं किया । यह कहना सही है कि खादी ग्राम उद्योग का लोन चुकाने के बाद अन्य कोई लोन नहीं लिया न ही प्लॉट के पटटे का कोई दुरूपयोग किया। न ही उनको काम में लेने से मना किया। अगर पीरदार सिंह पटटा सरेण्डर कर दे तो उसे कोई विवाद नहीं है। मात्र उनकी बिना सहमति के ही पटटा बनाया था। यह कहना गलत है कि संतोष के विवाह में पैसों की आवश्यकता होने की वजह से पटटा बनाया हो और ऋण लिया हो।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान में गवाह पीडब्लयू–2 श्रवण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि उसके पिताजी के चार भाई थे, जिनमें सबसे बड़े नारायण सिंह, दूसरे नंबर के लक्ष्मण सिंह, तीसरे छोटू सिंह व सबसे छोटे उसके पिताजी सवाई सिंह थे। छोटू सिंह के चार लड़के थे, छोटू सिंह की पेतृक सम्पति में चारों लड़कों का बराबर–बराबर हिस्सा था। छोटू सिंह के चार भाईयों में बड़ा भाई माल सिंह, दूसरा हनुमंत सिंह, तीसरा पीरदान सिंह, चौथा रावत सिंह था, इन सभी का पैतृक संपति पर समान अधिकार था। पीरदान सिंह के अलावा तीन भाई बाहर नौकरी करते थे और पीरदान सिंह गांव में ही रहता था, पीरदान सिंह ने अपने तीनों भाईयों को धोखा कर सरपंच से मिलकर पैतृक संम्पति का पट्टा पंचायत में गलत तथ्य पेश कर अपने नाम से बना लिया। पीरदान ने पट्टा अपने नाम बनाते समय तीनों भाईयों से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली थी, उक्त भुखण्ड में पानी के बिल का कनेक्शन माल सिंह के नाम से है। उक्त भुखण्ड का पट्टा पीरदान सिंह ने वर्ष 1986 में अपने नाम से बनवाया था। उसके द्वारा न्यायालय में एक शपथ–पत्र

पेश किया गया है जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो शामिल पत्रावली किया गया है।

12. गवाह पीडब्ल्यू–3 रावत सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि वे चार भाई है, सबसे बड़ा मालसिंह, दूसरा हनुमंत सिंह, तीसरा पीरदान सिंह व सबसे छोटा वह रावत सिंह है, पीरदान सिंह गांव में रहता है और वे तीनों भाई बाहर नौकरी करते है, वह पुलिस में नौकरी करता है, उनकी अचल सम्पति, खेत व मकान व बाड़े गांव हरनावा में है जिनका आज तक भाई बटवारा नहीं हुआ है जो अभी शामिल में ही है जिसमें एक प्लाट 50 बाई 30 फिट का है जो सभी भाईयों का शामिल में ही है जिनका अभी तक बटवारा नहीं हुआ है, उनकी पुश्तेनी हवेली में पानी व बिजली का कनेक्शन उनके बड़े भाई माल सिंह के नाम से है, बाडे में यदि पानी व बिजली की जरूरत होती है तो इसी कनेक्शन से काम में लिया जाता है, दिनांक 2014 में वे किसी कारणवश गावं हरनावा में उनके बाड़े में बैठे थे, पीरदान ने बाड़े के ताला लगा दिया और ऐलान किया की ये बाड़ा उसका है, वह इसका पट्टा बनवा रखा है, इस पट्टे के बारे में उन तीनों भाईयों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, फिर जब उन्होंने पंचायत समिति से मालूम किया तो दिनांक 13.10.86 को पट्टा नं 187 बना हुआ पाया गया, जो उनके भाई पीरदान के नाम से पाया गया, जो बिल्कुल झूठा है, पीरदान ने यह पट्टा सरपंच संमदर सिंह से बनवाया था, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, मूल पट्टा प्रदर्श पी 02 है, जो शामिल पत्रावली किया गया है, यह फर्जी पट्टा सिंह ने सरपंच से मिलकर अपने नाम से बनाया, जो उन तीनों भाईयों को अंधेरे में रखरकर उनकी संम्पति हडपने की नियत से तैयार किया था, जिसके विरूध उन्होंने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि वह सन् 1985 में राजस्थान पुलिस में कानि के पद पर भर्ती हुआ था। उससे बड़े भाई हनुमत सिंह की फौज में नौकरी लगी थी उनसे पहले मालसिंह जी जो सबसे बड़े भाई है उनकी नौकरी लगी थी। वे चार भाई है। सबसे बड़े माल सिंह, उनसे छोटे हनुमत सिंह जी, उनसे छोटे पीरदान सिंह और सबसे छोटा वह रावत सिंह, है। मुकदमा दर्ज करवाया तब वह पुलिस लाईन अजमेर में तैनात था। रिपोर्ट दर्ज कराने मालसिंह जी गए थे जो वर्ष 2014 में गये थे। गच्छीपुरा थाने जाने के करीब दो महिने बाद कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था जो 156 (3) में थाना गच्छीपुरा भेजा गया था। गच्छीपुरा थाने से तफ्तीश एस.एच. ओ. ने की थी। पुलिस वालों ने सिविल नेचर का प्रकरण मानते हुए उपरोक्त प्रकरण में एफ.आर. नहीं दी थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। लोन कब लिया उन्हें पता नहीं है, प्रकरण दर्ज होने के बाद लोन का पता चला था। खादी ग्राम उद्योग में लोन जमा कराया या नहीं उसे नहीं पता। विवादग्रस्त थाने के पड़ौस में पूर्वी तरफ भीमसिंह पुत्र नारायणसिंह का बाड़ा है। यह कहना सही है कि गांव में उनके मकानात बने हुए है जो पैतृक बने हुए है। वे एक ही हवेली में रहते है। यह कहना सही है कि वे तीनों भाई सर्विस करते थे, पिरदान सिंह गांव में रहता था। माता जी उसके साथ रहती थी। हवेली में कमरे अलग अलंग थे जो चिन्हित किए हुए थे, वे अलग अलग कमरों में रहते थे। बाड़े के चारो तरफ बाउंडरी करी हुई थी। बाड़े में कोई कमरा बना हुआ नहीं था, लेट–बॉथ व होद बना हुआ था। यह कहना सही है कि बाड़े व हवेली में बिजली का कनेक्शन माल सिंह के नाम से है। पट्टा सरपंच समदर सिंह द्वारा बनाया गया था। समदर सिंह जी करीब पन्द्रह साल तक गांव के सरपंच रहे थे। उसके व पीरदान सिंह के बीच

में मुकदमें चलते है, उसने उसके खिलाफ एक मुकदमा किया और उसने उसके खिलाफ एक मुकदमा किया। उसके द्वारा किए गए मुकदमें में एफ आर लगी थी जो स्वीकार हो गई थी। वह 1988 से 2018 तक पुलिस लाईन में आई.जी. अजमेर के ड्राईवर के रूप में कार्यरत था। दो बहनों की शादी की थी तब उन्होंने उनके खेत की जमीन बेचकर शादी नहीं की थी। यह कहना गलत है कि उसकी बहनों की शादी के समय पैसों की आवश्यकता होने की वजह से उपरोक्त पट्टा पीरदान सिंह ने उनकी सहमति से बनाया हो और खादी ग्राम उद्योग जयपुर से दस हजार रूपये का लोन लिया हो। पीरदान सिंह ने लोन चुका दिया हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है। पीरदान सिंह के नाम से बना' मूल पट्टा प्रदर्श पी–2 पत्रावली पर है। उसने पट्टा व पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम पंचायत हरनावा से ली थी। उसके पिताजी चार भाई थे, बड़े नारायण सिंह, उनसे छोटे लक्ष्मण सिंह, उनसे छोटे छोटूसिह फिर सवाई सिंह जी। उनके पिताजी व उनके भाईयों के चारो के मकान व बाड़े अलग अलग थे। श्रवणसिंह पुत्र सवाई सिंह उसके काका के बेटे भाई है। यह कहना सही है कि बाड़े व हवेली में बिजली का कनेक्शन मालसिंह के नाम से है जो सब भाईयों की सहमति से है। यह कहना सही है कि सभी भाईयों ने सहमति पत्र लिखित में नहीं दिया। यह कहना गलत है कि उनके आपस में अनबन होने के कारण उन्होंने यह झूठा मुकदमा किया हो। अज खुद कहा कि उनके बीच यह पहला ही मुकदमा है। यह कहना गलत है कि आई.जी. के ड्राईवर के रूप में काम किया हो और उनके प्रभाव को काम में लेकर संबंधित एस.एच.ओ. को काम में लेकर गलत चालान प्रस्तुत कराया हो।

13. गवाह पीडब्लयू–4 हनुमंत सिंह उर्फ हनुमान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वे चार भाई है, सबसे बड़ा मालसिंह, दूसरा वह हनुमंत सिंह, तीसरा पीरदान सिंह व सबसे छोटा रावत सिंह है, पीरदान सिंह गांव में रहता है और वे तीनों भाई बाहर नौकरी करते है, वह आर्मी में नौकरी करता था, उनकी अचल सम्पति, खेत व मकान व बाड़े गांव हरनावा में है जिनका आज तक भाई बंटवारा नहीं हुआ है जो अभी शामिल में ही है जिसमें एक प्लाट 50 बाई 30 फिट का है जो सभी भाईयों का शामिल में ही है जिनका अभी तक बटवारा नहीं हुआ है, उनकी पुश्तेनी हवेली में पानी व बिजली का कनेक्शन उनके बड़े भाई माल सिंह के नाम से है, बाड़े में यदि पानी व बिजली की जरूरत होती है तो इसी कनेक्शन से काम में लिया जाता है, वर्ष 2014 में वे किसी कारणवश गावं हरनावा में उनके बाड़े में बैठे थे, पीरदान ने बाडे के ताला लगा दिया और ऐलान किया की ये बाड़ा उनका है, वह इसका पट्टा बनवा रखा है, इस पट्टे के बारे में उन तीनों भाईयों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, फिर जब उन्होंने पंचायत समिति से मालूम किया तो दिनांक 13.10.86 को पट्टा नं 187 बना हुआ पाया गया, जो उनके भाई पीरदान के नाम से पाया गया, जो बिल्कुल झूठा है, पीरदान ने यह पट्टा सरपंच संमंदर सिंह से बनवाया था, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, मूल पट्टा प्रदर्श पी 02 है, जो शामिल पत्रावली किया गया है, यह फर्जी पट्टा पीरदान सिंह ने सरपंच से मिलकर अपने नाम से बनाया, जो उन तीनों भाईयों को अंधेरे में रखरकर उनकी संम्पति हडपने की नियत से तैयार किया था, जिसके विरूध उन्होंने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

14. गवाह पीडब्लयू–5 शिवदानराम चौधरी ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि सन् 2014 में वह ग्राम पंचायत हरनावा में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था। उस समय सरपंच

खींयाराम थे। मिसल संख्या 5 दिनांक 25.03.1985 के संबंध में पंचायत से थानाधिकारी गच्छीपुरा द्वारा रिकोर्ड मांगा गया था जिसके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 के संबंध में उनके पास कार्यवाही बैठक रजिस्टर व पट्टा जारी मिसल संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं था। उक्त सूचना उसके द्वारा थानाधिकारी को दी गई थी जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 उनके रिकॉर्ड में है। जिसकी सूचना थानाधिकारी को दी गई थी जो प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पट्टा रसीद प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। केस बुक में रसीद काटने की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पीरदान सिंह के नाम से ही रसीद संख्या 87/13.09.1986 की दो रूपये की रसीद काटी गई थी जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि आज से पहले उसके गच्छीपुरा थाने में बयान हुए थे जो वर्ष 2014 में हुए थे कौनसी तारीख व महिने को हुए थे आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि उसने पुलिस वालो के कहने पर ही बयान दिए थे। वह वर्ष 2014 में ग्राम सेवक था। यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी द्वारा एक पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 को जारी किया गया था जिससे संबंधित में दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध थे। यह कहना सही है कि पट्टा बनाने से पूर्व पट्टा आवेदित स्थल का फिजिकली वेरिफिकेशन ग्राम सेवक द्वारा किया जाता है। पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10. 1986 को जारी किया हुआ है जो रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस वालों को उपलब्ध करवाया हुआ है। यह कहना सही है की प्रदर्श पी–3 ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी की पीरदान सिंह के नाम जारी पट्टे की रसीद की प्रमाणित प्रति है। रिकॉर्ड अनुसार प्रदर्श पी–4 में रसीद संख्या 87 दिनांक 13.10.1986 पर पीरदान सिंह पुत्र छोटू सिंह का नाम लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पुलिस के आवेदन पर ही दस्तावेज उपलब्ध करवाए गये थे। यह कहना सही है कि पट्टे की, जमा रसीद की व केश बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी में उपलब्ध थी।

15. गवाह पीडब्लयू–6 सुखाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि आज से करीब 16–17 साल पहले की बात है। रावत सिंह की माता के घर पर मजदूरी करने गये थे, रावत सिंह की माता ने ही उन्हें मजदूरी करने के लिए बुलाया था वो ही उन्हें मजदूरी के पैसे देती थी। उसके साथ मोतीराम जी भी गये थे। उन्होंने वहां दस–पन्द्रह दिन काम किया था। उन्होंने मकान व लेट–बाथ बनाये थे। जिस जगह मकान बनाया वह जमीन छोटूसिंह जी की थी। छोटूसिंह के चार लड़के थे जिनमें बड़े माल सिंह, हनुमंत सिंह, पीरदानसिंह और रावत सिंह जी थे। वे मजदूरी करने गये थे। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि छोटूसिंह के लड़के शामिल में रहते थे या अलग रहते थे उसे इसकी जानकारी नहीं है। रावत सिंह की माता जी उस समय उनके साथ ही रहती थी। उस समय रावतसिंह पुलिस में नौकरी करते थे और हनवंत सिंह फौज में नौकरी करते थे। उनकी माताजी का स्वर्गवास होने के बाद सभी लड़के अलग अलग हो गये थे। बहनो की शादी पीरदान ने की हो तो उसे पता नहीं है। विवादग्रस्त बाड़ा पीरदान के हिस्से में आये हो तो उसे जानकारी नहीं है। आज से पहले उसके बयान नहीं हुये। यह कहना गलत है कि वह आज मुस्तिगीस के साथ आया हो और उसके कहने से गलत बयान दे रहा हो।

16. गवाह पीडब्लयू–7 मोतीराम ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि आज से करीब पन्द्रह–सोलह साल पहले मालसिंह की माता जी ने उन्हें चुनाई का काम कराया था, उन्होने लेट–बॉथ, होद, दीवार बनवाये थे। बनाने वाले वह और सुखाराम थे। उन्होंने महीने भर वहां काम किया था। उन्हें मजदूरी मालसिंह की माताजी देती थी। यह जगह मालसिंह जी, हनुवंत सिंह, रावत सिंह पीरदान सिंह की थी। उक्त जगह को लेकर बाद में क्या हुआ उसने कुछ नहीं सुना। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि आज से पहले उसके कहीं बयान नहीं हुये। माताजी के देहांत के बाद चारों भाई अलग अलग हो गये हो तो उसे पता नहीं है। रावत सिंह पुलिस में अजमेर नौकरी करते थे जो आज कोर्ट में हाजिर है। पीरदान सिंह ने अपनी बहनो की शादी की हो तो उसे पता नहीं है और इस हेतु पीरदान सिंह ने सभी भाईयों की सहमति से अपने नाम पट्टा बनाकर लोन लिया हो तो उसे पता नहीं है। माताजी ने विवादग्रस्त प्लॉट पीरदान सिंह को दी हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने मुस्तगीस से मिलकर उसके कहेनुसार उसके पक्ष में झूठे बयान दे रहा हो।

17. गवाह पीडब्लयू–8 खींयाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वह वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी में सरपंच के पद पर कार्यरत था। उस दौरान पुलिस के पूछने पर उसने बताया था कि पीरदान के नाम से रिकॉर्ड अनुसार एक पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 जारी हो रखा था जिसका क्षेत्रफल 50 गुणा 30 1500 वर्गफीट था जिसकी रसीद संख्या 87 दिनांक 13.10.1986 थी। पट्टा हरनांवा गांव के बीचला बास राजपूत मौहल्ले का है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि रिकॉर्ड के अनुसार विवादग्रस्त प्लॉट का पट्टा समदंर सिंह सरपंच साहब के द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार पीरदान सिंह के नाम से बनाया था। यह कहना सही है कि आज से पहले उसके बयान नहीं हुये, अज खुद कहा पुलिस ने पूछताछ की थी। यह कहना सही है कि पीरदान सिंह के भाई वगैरह अलग होने के बाद पट्टा बनाया हो तो उसे जानकारी नहीं है।

18. गवाह पीडब्लयू–9 भीमसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि उसके पिताजी चार भाई थे, नारायण सिह, लिछमण सिह, छोटुसिंह, सवाई सिंह जी थे। जिनका संपति पर चारो का बराबर हिस्सा था। एक प्लॉट उनके मकान के पीछे की तरफ था। जिसका माप उसे याद नही है। उस प्लॉट को तीन हिस्सो में बांटा था। जिसमे से एक हिस्सा उसके पिता नारायण सिंह, एक हिस्सा छोटु सिंह व एक हिस्सा सवाई सिह के हिस्से में आया था। चौथे भाई लिछमण सिंह को अलग नोहरे मे से हिस्सा दिया था। छोटू सिह जी के लडके मालसिह, हंणवंत सिह, पिरदान सिह, रावत सिंह के बीच विवाद हो गया था। प्रिदान ने इस प्लॉट पर कोई लोन उठाया था और पिरदान सिंह ने पटटा बनवा लिया था। जबकि उक्त प्लॉट छोटूसिंह जी के चारो लडके माल सिह हणवंत सिंह, पिरदान सिंह, रावत सिंह का था। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि पिरदान सिह, रावत सिंह, हणवंत सिंह, माल सिह की दो बहने सीता कंवर व धापु कंवर कवारी थी। उनकी शादी करने के लिये सभी भाईयो की सहमति से पटटा पिरदान सिंह के नाम बनाया गया था। प्रिरदान सिंह ने उस पटटे पर लोन लेके दोनो बहनो की शादी कर दी थी, जो भाईयो की सहमति से पटटा बनाकर लोन लेकर की थी। उनके पिरदान सिह, हणवंत सिंह वगै सगे काका के बेटे भाई लगते है।

19. गवाह पीडब्लयू–10 शंभु सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि दिनांक 24.11.2014 को वह पुलिस थाना गच्छीपुरा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस

दिन जरिये डाक माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट मकराना से धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादगण मालसिंह, हनुवंत सिंह, रावत सिंह का इस्तगासा थाना हाजा पर प्राप्त हुआ। इस्तगासे के मजमून से मामला जुर्म धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के वकू में आना पाये जाने पर प्रकरण सं 138/14 दर्ज कर उसके द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। इस्तगासा प्रदर्श पी–1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है, आई से जे कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है, चाक एफ.आई. आर. प्रदर्श पी–11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान रावत सिंह, मालसिंह, हनुवंत सिंह, खियाराम, शिवदानराम, भीमसिंह, श्रवणसिंह के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी से पट्टा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 के संबंध में जानकारी चाही गई जो प्रदर्श पी–8 व 9 है जिन पर सी से डी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। पट्टा रसीद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 है। पंचायत की रसीद बुक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–10 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जिन पर सी से डी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। पट्टा सं 187 की फोटो प्रति, नक्शे की फोटो प्रति, बाड़े के नक्शे की फोटो प्रति, सजरा प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी माल सिंह द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति परबसतसर को ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी द्वारा जारी पटटा सं 187 दिनांक 13.10.1986 को निरस्त करने बाबत् प्रार्थना–पत्र की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। पी.एच.ई.डी. से माल सिंह नाम से दस्तावेज व बिजली बिल की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। लिखित इकरारनामा बंटवारा जमाबंदी ग्राम हरनावा पट्टी की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर के दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से पीरदान के नाम से उद्योग के संबंध में दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी–11 लगायत 38 है। इसके उपरांत पत्रावली वास्ते अनुसंधान सी.ओ. डेगाना अमरजीत सिंह बेदी के सुपुर्द हुई। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि प्रकरण में लगभग 28 साल पश्चात् एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। यह कहना सही है कि इस्तगासे प्राप्त होने से पूर्व परिवादीगण द्वारा थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई थी। आज उसे जानकारी नहीं है कि परिवादी माल सिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र विकास अधिकारी पर्वतसिंह के समक्ष पट्टा को खारिज करने हेतु वर्ष 1991 को पेश की थी जो दिनांक 05.01.2015 तक विचाराधीन हो। उक्त प्रकरण में चार्जशिट सिविल नेचर में एफ.आर. दी गई हो तो आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि रावत सिंह डी.आई.जी. अजमेर के डाईवर थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रकरण सिविल नेचर का मानते हुये एफ.आर. दी गई हो। उसके द्वारा उक्त प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज की गई. गवाहान रावत सिंह, समदर सिंह, माल सिंह के बयान लेखबद्ध की गई थी, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड प्राप्त किये गये थे। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान पत्रावली में अनुसंधान हस्तानान्तरित हो गया था जो एस.पी. साहब के आदेश से हुआ था। यह कहना सही है कि उपरोक्त प्रकरण का नक्शा मौका नहीं बनाया गया था। यह कहना गलत है कि वह घटना स्थल पर गया ही नहीं हो। यह कहना गलत है कि विवादग्रस्त पड़ौसियान के बयान नहीं लिये गये हो। उसने विवादग्रस्त मकान के पड़ौसी दीपसिंह के बयान लिये थे जो किस

दिशा का पड़ौसी है आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि बकाया तीन दिशाओं के अन्य पड़ौसी के बयान नहीं लिये। विवादग्रस्त प्लॉट की बाउंडरी कितने फुट की थी आज उसे याद नहीं है, प्लॉट की साईज उसे आज याद नहीं है। उक्त प्लॉट में बिजली का कनेक्शन था जो माल सिंह के नाम से पानी का कनेक्शन भी मालसिंह के नाम से था। पट्टा से 187 समदर सिंह सरपंच द्वारा जारी किया गया। समदर सिंह के हस्ताक्षरों की एफ.एस.एल. करवाई या नही उसे आज याद नहीं है। दौराने तफ्तीश समदर सिंह के हस्ताक्षरों के और दस्तावेज नहीं लिये। पट्टे की रसीद प्रदर्श पी–3 शिवदानाराम द्वारा काटी गई हो तो उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि पंचायत समिति हरनावा से केस बुक की प्रमाणित प्रति ली थी। यह कहना सही है कि एफ.आई.आर. दिनांक 24.11.2014 को दर्ज की थी, उसके पश्चात भिन्न भिन्न दिनांक को गवाहों के बयान लिये गये, इसका कारण यह था कि जैसे जैसे गवाह आये वैसे बयान लिये थे। मौके पर किस तारीख को गया उसे याद नहीं है। मौके पर रिपोर्ट दर्ज होने के कितने दिन बाद गया उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि गवाह के 161 बयानों में समय व स्थान का उल्लेख नहीं किया है। यह कहना सही है कि परिवादीगण व मुल्जिम सगे भाई है। यह कहना सही है कि समदर सिंह का देहांत के पश्चात उनके बच्चों से या पंचायत से समदर सिंह के हस्ताक्षरों की पहचान नहीं करवाई। गवाह के 161 सी.आर.पी.सी. के बयान उसकी मौजूदगी में उसके एल.सी. किशनदान की कलमी है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा गलत अनुसंधान किया गया हो।

20. गवाह पीडब्लयू–11 मंजू चौधरी ने अपनी मुख्य परीक्षा कथन किया है कि अक्टूबर 2014 से जून 2016 तक उसका पदस्थापन लेखाधिकारी के पद पर राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग जयपुर के पद पर था। उस दौरान उसके द्वारा पीरदान सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत निवासी हरनांवा के द्वारा पूर्व में स्टोनवेयर में संगमरमर के कार्य हेतु राजस्थान खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड जयपुर से लोन लिया था। जिसके संबंध में मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उसके द्वारा जारी की गई थी जो प्रदर्श पी 11 लगायत 39 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि प्रदर्श पी 11 से लगायत 39 की प्रतिया लेने के लिए आवेदन किसके द्वारा किया गया था उसे याद नहीं है। उसे यह जानकारी नहीं है कि लिया गया लोन चुकता कर दिया गया है या नहीं है, उसने केवल प्रतियां दी थी। ऋण देने वाला चैयरमेन कौन था उसे पता नहीं है 1987 में दिया था। प्रमाणित प्रतिलिपियां उसके द्वारा जारी की गई उस समय वह ए.ओ. थी। उसकी राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट थी। असल रिकॉर्ड खादी बोर्ड के ऑफिस में ही रहता था। रिकॉर्ड किसके पास रहता था उसे जानकारी नहीं है. फिर कहा संस्थापन में रहता था।

21. . बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह डी.ड 1 पीरदान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हरनावा पट्टी का मूल निवासी है, वह 1998 से मय परिवार वहीं रहता है। स्वर्गीय छोटूसिंह के चार लड़के है, बडे माल सिंह, उनसे छोटू हनुवंत सिंह, वह और रावत सिंह है। उनके चार बहने है तेज कंवर, सीता कंवर, अंतर कंवर, संतोष कंवर। मालसिंह, हनुवंत सिंह दोनो फौज में नौकरी करते थे, रावत सिंह पुलिस में नौकरी करता था जो आई.जी. ऑफिस में आई.जी. का वाहन चालक था, जो उक्त मुकदमें से पहले से था। विवादग्रस्त जमीन का पट्टा उसने नहीं बनाया और ना ही उसने पट्टा बनाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पंचायत में दिया। उसके नाम से पट्टा उसके भाईयों के कहने से उसकी माता

गुलाब कंवर ने सरपंच समदंर सिंह से 1986 में बनाया था क्योंकि बाकी सब नौकरी करते थे वह बेरोजगार था, उसे रोजगार लगाने के लिए उसकी माता ने पट्टा बनवाकर खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर से ऋण दिलवाया था जिससे उसने चुना भट्टा का काम किया था जिससे आमदनी होने से उसने उसकी छोटी बहन संतोष कंवर की शादी की थी। उसने कोई गलत पट्टा नहीं बनवाया। इससे पहले उनकी दो बहनो सीता कंवर और अंतर कंवर की शादी में रूपयों की आवश्यकता होने से 13 बीघा जमीन का बेचान उन चार भाईयों ने किया था तथा शादी में उसकी माता ने खर्चा लगाया था। उसकी माताजी ने उपरोक्त प्लॉट में चार दीवारी बनाकर के लेट–बॉथ का निर्माण करवाया, उक्त घर व प्लॉट में लाईट व पानी का कनेक्श माल सिंह के नाम से लिया गया था, उन्होंने उक्त कनेक्शन के लिए माल सिंह के नाम लेने बाबत् भी कोई ऐतराज नहीं किया था। उसके नाम से पट्टा 1986 में बनाने के बाद करीब 28 साल बाद 2014 में उनके आपस में अनबन हो जाने के कारण यह गलत मुकदमा उसके खिलाफ किया है। पुलिस ने इस मुकदमें में एफ.आर. दे दी थी बाद में आई.जी. के डाईवर रावतसिंह ने तफ्तीश बदलवाकर पुलिस पर दबाव बनाकर गलत चालान पेश कराया। इस संबंध में मालसिंह ने भी सहमति दी थी कि पट्टा गलत नहीं बनाया गया है। पट्टा बनाने के बाद चुना भट्टा का काम किया था तथा बाद में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर में दिनांक 07.04.2003 को 13580/ रूपये चुकता कर दिये थे जबकि गलत ढंग से मुस्तिगीस द्वारा इस्तगासे में झूठे आरोप लगाकर इस्तगासा पेश किया कि ऋण चुकता नहीं किया है। उपरोक्त पट्टा बनाने के बाद में इस पट्टे अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर के यहां पेश की थी फिर उनके आपस में विवाद होने की वजह से मुकदमें बाजी हो गयी थी जिससे रंजीश होने के कारण यह मुकदमा पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत रूप से पेश किया गया। उसने कोई कोई फर्जी पट्टा नहीं बनाया। फिर उनके व रावत सिंह के बीच राजीनामा की लिखापढ़ी दिनांक 05.02.2025 को हुई थी जो मूल प्रदर्श डी–1 है जिसकी प्रति प्रदर्श डी–1 ए है। प्रदर्श डी–1 पर प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है, सी से डी रावत सिंह के हस्ताक्षर है व वाई स्थान पर अंगूठा निशानी है। ऋण के पैसे जमा कराने की रसीद प्रदर्श डी–2 है जिसकी प्रति प्रदर्श डी–2 ए है। उसने कोई अपराध नहीं किया वह निर्दोष है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा किया है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि राजीनामा प्रदर्श डी–1 इस मुकदमें में परिवादी मालसिंह व रावत सिंह के बयान होने के बाद में हुआ है। यह कहना सही है कि राजीनामा प्रदर्श डी–1 में रावतसिंह के अलावा अन्य किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, अज खुद कहा कि गवाह के हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि आज रावतसिंह राजीनामा पर कायम नहीं हो। यह कहना सही है कि न्यायालय में कोई राजीनामा तस्दीक नहीं किया है। यह कहना सही है कि पट्टा बनवाया उस सम बाड़ा सभी का शामिलाती था फिर कहा पट्टा उसने नहीं बनवाया था उसकी माता गुलाब कंवर ने बनवाया था। यह कहना सही है कि पट्टा उसके नाम से बना हुआ है। यह कहना गलत है कि पट्टा बनवाने का प्रार्थना–पत्र उसने ही दिया हो। उसे पता नहीं है कि पट्टा बनवाने की राशि 21 रूपये जमा होकर रोकड़ बही में रसीद नंबर 87 दिनांक 13.10.1986 अंकित हो। यह कहना गलत है कि वह अपने बचाव में झूठे बयान दे रहा हो।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कहानी के अनुसार अभियुक्त पर मुख्य रूप से यह आरोप है कि अभियुक्त द्वारा छल कारित कर संयुक्त पैतृक संपत्ति का पटटा स्वयं के नाम कूटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त पटटे के आधार पर खाद्य ग्रामोद्योग जयपुर से लोन लिया गया एवं कूटरचित दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आता था को असली के रूप में प्रयोग किया यदि उक्त आरोपों के संबंध में बिंदूवार विचार किया जाये तो दर्शित हो रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मे गवाह पी.ड 1 माल सिंह, पी.ड 3 रावत सिंह, पी.ड 4 हनुमंत सिंह परिवादीगण उक्त तीनों ही गवाहन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से यह कथन किये है कि गांव हरनावां में उनकी पैतृक संपत्ति व पुश्तैनी मकान आया हुआ है। जिसमें भूखण्ड व बाडा भी शामिल है। जो उनके शामलाती है। परंतु अभियुक्त पीरदान द्वारा ग्राम पंचायत हरनावा से मिलकर धोखा कर अपने नाम पटटा बनवा लिया उनसे इस बारे में पुछा नहीं व इस्तगासा को प्रदर्श पी 1, मूल पटटे को प्रदर्श पी 2, पटटे के संबंध में काटी गयी रसीद को प्रदर्श पी 3, सदस्यों की सूची प्रदर्श पी 4, भूखण्ड के संबंध में पानी के बिल को प्रदर्श पी 5, रसीद को प्रदर्श पी 6 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त तीनों ही गवाहन की मुख्य परीक्षा में अभियुक्त व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से लेखबद्ध की गयी व पश्चातवृत्ति स्तर पर न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उक्त गवाहन को पुन जिरह हेतु तलब किया गया। जिनमें गवाह पी.ड 1 से हुयी जिरह में गवाह द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जब उनके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। उस वक्त रावत सिंह आईजी के ड्राईवर था उसके द्वारा कनेक्शन लिया गया उसकी लिखित में सहमति नहीं ली गयी थी। पटटे पर बिल पीरदान ने जो लोन लिया वह चुका दिया है। पटटे की पत्रावली उन्होंने ग्राम पंचायत हरनावां से निकलवायी थी। उस समय सरपंच समुद्र सिंह थे। पटटा उनके हाथ से बना हुआ है। पटटा बनवाया तब उनकी माता जीवित थी। यह कहना सही है कि पटटा निरस्तीकरण हेतु विकास अधिकारी परबतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कहना सही है कि खाद्य ग्राम उद्योग ने लोन चुकाने के बाद अन्य कोई लोन नहीं लिया गया है न ही प्लॉट के पटटे का कोई दुरूपयोग किया गया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 3 रावत सिंह ने भी अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह 1985 से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ। पुलिस वालों ने सिविल नेचर का प्रकरण मानते हुये एफआर दी थी। लोन कब लिया उसे पता नहीं है। प्रकरण दर्ज होने के बाद पता चला। यह कहना सही है कि बाडे व हवेली में बिजली का कनेक्शन माल सिंह के नमा से है। पटटा सरपंच समुद्र सिंह द्वारा बनाया गया था। पीरदान सिंह के नाम से बना पटटा मूल प्रदर्श पी 2 है। जिसकी प्रमाणित प्रति लिपि ग्राम पंचायत हरनावां से ली गयी थी। गवाह पी.ड 4 हनुमंत सिंह की मुख्य परीक्षा लेखबद्ध करने के पश्चात उक्त गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 2 श्रवण सिंह की मुख्य परीक्षा में अभियुक्त की अनुपस्थित में लेखबद्ध की गयी थी। जिसमें गवाह द्वारा यह कथन किये है कि परिवादीगण व अभियुक्त भाई है। पीरदान सिंह के अलावा तीन भाई बाहर नौकरी करते है। पीरदान गांव में रहता है। जिसने तीनों भाईयों को धोखा कर पंचायत से गलत तथ्यों के आधार पर पटटा बनावा लिया है। जिसमें तीनों भाईयों की सहमति नहीं हुयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 5 शिवदान सिंह ग्राम सेवक के रूप में उपस्थित हुये है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि वह वर्ष 2014 में

ग्राम पंचायत हरनावा में ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित था। उस समय सरपच खींयाराम था। थाना गच्छीपुरा द्वारा मिसल संख्या 5 का रिकॉर्ड मांग गया जिसके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 के संबंध में उनके पास कार्यवाही बैठक व पटटा जारी मिसल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिसकी सूचना थानाधिकारी को दी गयी जो प्रदर्श पी 8 है। पटटा संख्या 187 दिनांक 187 दिनांक 13.10.1986 उनके रिकॉर्ड में है। जिनकी सूचना उन्होंने थानाधिकारी को दी जो प्रदर्श पी 9, पटटा रसीद प्रदर्श पी 3, केस बुक प्रदर्श पी 4 है। पीरदान सिंह के नाम से रसीद संख्या 87/13.09.1986 दो रूपये की काटी गयी जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 है। दौराने जिरह उक्त गवाह के यह भी कथन रहे है कि यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत हरनावा पटटी द्वारा एक पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 को जारी किया गया जिससे संबंधित दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। जिसका रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया गया था। रिकॉर्ड अनुसार प्रदर्श पी 4 में रसीद संख्या 87/ 13.10.1986 पर पीरदान सिंह पुत्र छोटूसिंह का नाम अंकित है। इसी संबंध में गवाह पी.ड 8 खींयाराम जो वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत हरनावा के सरपंच थे ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन कियेा है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। जिनमें उसके द्वारा बतायी गयी थी। पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 को जारी हुआ जिसकी रसीद संख्या 87 दिनांक 13.10.1986 को जारी हुयी। दौराने जिरह गवाह के यह भी कथन रहे है कि रिकॉर्ड के अनुसार विवादग्रस्त प्लॉट का पट्टा समुद्र सिंह सरपंच द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार बनाया गया।

24. उपरोक्त गवाहन द्वारा दी गयी साक्ष्य के संबंध में पत्रावली का ओर अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में इस भारतीय दण्ड संहिता का अवलोकन किये जाने से यह दर्शित हो रहा है कि धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के लिए किसी भी व्यक्ति को संपत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहन जिसमें मुख्य रूप से स्वयं परिवादीगण व ग्राम पंचायत हरनावां के सरपंच व ग्राम सेवक सम्मिलत है द्वारा दी गयी साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित नहीं हुआ है कि परिवादीगण या ग्राम पंचायत हरनावां के सरपंच ओर ग्राम सेवक को अभियुक्त द्वारा इस प्रकार उत्प्रेरित कर बेईमानीपूर्वक से प्रवंचित किया गया हो जिस आधार पर पटटा जारी किया गया हो। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि पत्रावली पर मूल पटटा एक्स प्रदर्श पी 2 के रूप में व उक्त पटटे के संबंध में जारी की गयी रसीद प्रदर्श पी 3 एवं कार्यवाही बैठक से संबंधित दस्तावेज को प्रदर्श पी 4 व 10 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया, परंतु अभियुक्त द्वारा उक्त पटटे के संबंध में किये गये आवेदन को प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान के पश्चात प्रस्तुत पुरक आरोप पत्र में आरोप पत्र का एक आधार यह भी है कि ग्राम पंचायत हरनावां को धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिये जाने पर मूल रिकॉर्ड पटटा नहीं पाया गया। जिस आधार पर भी यह माना गया है कि दस्तावेज कूटरचित थे, परंतु इस संबंध में मूल पटटा एवं उससे संबंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 465, 467, 468, 471 के संबंध में भी भारतीय दण्ड संहिता का अवलोकन किया गया। जिससे यह दर्शित हो रहा है कि धारा 465 में कूट रचना के लिए दण्ड के प्रावधान किये गये है एवं

कूट रचना को धारा 463 परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट रचना कहलता है। धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता में यह प्रावधान किये गये है कि कोई किसी ऐसा दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, व्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा व उक्त अपराध के लिये दण्ड का भागी होगा। इसी प्रकार धारा 468 में छल के प्रलोभन के लिये कूट रचना किया जाना व धारा 471 में कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में प्रयोग किये जाने को दण्डनीय अपराध बताया गया है। ऐसी दशा में धारा 465, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा दस्तावेज की कूट रचना की गयी। उक्त बिंदू के संबंध में प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी 1 में परिवादीगण द्वारा मुख्य रूप से यह तथ्य उल्लेखित किये गये है कि ग्राम हरनावां में उनकी पैतृक पुश्तैनी जमीन थी जो अविभाजित थी। जिसमें उनका भी हक व अधिकार था व अभियुक्त द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में कूटरचित पटटा बनवाया गया व इस संबंध में उनसे कोई अनुमति नहीं ली गयी, परंतु पटटा किस प्रकार से कूटरचित दस्तावेज था व किस प्रकार की कूटरचना की गयी ऐसे कोई भी तथ्य परिवाद में लिखित नहीं किये गये है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने के पश्चात किये गये अग्रिम अनुसंधान में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में धारा 420, 465,467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाये गये है। जिसका आधार यह भी माना गया है कि ग्राम पंचायत हरनावा से पटटे की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है, परंतु मूल प्रस्तुत नहीं किये गये है व नोटिस दिये जाने पर भी मूल पटटा पेश नहीं किया गया है व ग्राम पंचायत में केाई पटटा संबंधित मूल जारी करने से संबंधित मूल आवेदन या अन्य दस्तावेज नहीं होना अंकित किया गया है व रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर पटटा फर्जी माना गया है परंतु इसी संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत हरनावां से चाहीं गयी सूचना के आधार पर दिनांक 10.08.2016 को सरपंच सरजु देवी द्वारा एक पत्र के माध्यम से पटटे की प्रतिलिपि रसीद संख्या 87 केस बुक संख्या 48 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त दस्तावेज में से पटटे की प्रतिलिपि को प्रदर्श पी 2 रसीद की प्रतिलिपि को प्रदर्श पी 3 व केस बुक को प्रदर्श पी 4 व 10 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता है कि पटटा संख्या 187 के संबंध में कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं रहा हो। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि दौराने साक्ष्य गवाह पी.ड 5 शिवदान

राम जो तत्कालीन ग्राम सेवक थे द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दो विरोधाभासी कथन किये है। जिसमें पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 के संबंध में उनके पास कार्यवाही बैठक रजिस्टर व पटटा जारी मिसल संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं होने व इसके पश्चात पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 के संबंध में सूचना प्रदर्श पी 8 व 9 दिये जाने जिसमें पटटा रसीद प्रदर्श पी 3 केस बुक में रीसद काटने की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4 एवं रसीद संख्या 87 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श पी 10 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 8 खींयाराम जो वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत हरनावा के सरपंच थे द्वारा भी पटटा संख्या 187 दिनांक 13.10.1986 को जारी होने के कथन किये गये है। ऐसी दशा में उक्त साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि इस प्रकार का कोई पटटा ग्राम पंचायत हरनावां से जारी नहीं किया गया है।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कहानी के अनुसार उक्त पटटे को फर्जी व कूटरचित होना बताया गया है, परंतु इसका कोई सुदृढ आधार पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन में गलत जानकारी दी जाकर उक्त पटटा जारी करवाया गया है। अभियुक्त इस संबंध में मूल आवेदन को प्रस्तुत नहीं किया है साथ ही परिवादीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस आधार पर यह दर्शित होता हो कि जिस संपत्ति को उनके द्वारा शामलाती पुश्तैनी होना बताया गया वह उनकी शामलाती या पुश्तैनी रही हो। जिसके संबंध में अभियुक्त को पटटा जारी करवाने का अधिकारी रहा हो। ऐसी दशा में उक्त साक्ष्य के आधार पर पटटा संख्या 187 फर्जी या कूटरचित रहा हो। ऐसा अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

26. बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष यह बचाव प्रस्तुत किया गया है कि पटटा उनके द्वारा जारी नहीं करवाया गया है एवं पटटा अभियुक्त की माता द्वारा अन्य भाईयों की सहमति से अभियुक्त के नाम पर जारी करवाया गया था एवं अभियुक्त द्वारा उक्त पटटे के आधार पर रोक लिया जाकर अपनी पसंद की दी गयी बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में गवाह डी.ड 1 के रूप में अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये है एवं मुख्य परीक्षा में उसके व गवाह के मध्य हुये राजीनामे को प्रदर्श डी 1 ऋण जमा कराने की रसीद को प्रदर्श डी 2 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, परंतु प्रस्तुत राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर आदेशित नहीं किया है न हीं स्वयं गवाह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त राजेनामे को स्वीकार किया गया है। जिस आधार पर उक्त राजीनामा मानने योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 6 सुखाराम व पी.ड 7 मोतीराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि रावत सिंह की माता द्वारा उन्हें काम करने के लिये बुलाया गया था व मकान पर लेटबाथ बनाये गये थे। जिस जगह मकान बनाया वह जमीन छोटू जी की थी। इसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं है। ऐसी दशा में उक्त दोनों ही गवाहन द्वारा स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं दी गयी है। गवाह पी.ड 9 भीमसिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि छोटूसिंह के लड़के मालसिंह, हनुवंत सिंह, पीरदान व रावत सिंह के मध्य विवाद हुआ। पीरदान ने प्लॉट पर ऋण उठाया था। पटटा बनवाया था। जबकि प्लॉट छोटू जी के चारों लड़के का था। साथ ही उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीरदान द्वारा पटटे पर लोन लेकर दोनों बहनों की शादी की थी। जो भाईयों की सहमति

से पटटा बनाकर लोन लेकर की गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह में गवाह पी.ड 10 शंभुसिंह अनुसंधान अधिकारी के रूप में उपस्थित हुआ है। जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया है। पी.ड 11 मंजू चैधरी खाद्यी एवं ग्रामोद्योग जयपुर द्वारा दिये गये लोन के संबंध में उपस्थित हुये है। जिसने लोन से संबंधित कागजात को प्रदर्श पी 11 लगायत 39 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। साथ ही जिरह में यह भी कथन किये है कि लोन चुकता कर दिया है या नहीं उसे जानकारी नहीं है। उसके द्वारा उन दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दी गयी थी।

27. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह दर्शित हुआ है कि परिवादी द्वारा तथाकथित रूप से बतायी गयी शामलाती संपत्ति में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये व पटटा सरपंच से मिलकर कूटरचित बनाया बताया गया है, परंतु कूटरचित के संबंध में ऐसी स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा गलत जानकारी दी गयी हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। पटटा ग्राम पंचायत हरनावां द्वारा जारी किया गया है। जिससे संबंधित रिकॉर्ड पंचायत की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें रसीद आदि भी शामलाती है। प्रस्तुत पटटा संख्या 187 व 30 संबंधित रसीद कूटरचित रहीं है, ऐसी कोई एफएसएल जांच भी नहीं करवायी गयी है। पूर्व में किये गये विवेचनानुसार अभियुक्त द्वारा यह कथन किये गये है कि उसके द्वारा आवेदन नहीं किया गया है व अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे इस यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पटटा बनवाया जाकर उसे सही के रूप में प्रयोग कर लोन लिया गया। जिस लोन को लिया जाना बताया गया है। उसको संपूर्ण चुकाये जाने के भी तथ्य साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल मात्र पंचायत में मूल पटटे का रिकॉर्ड नहीं हाने के आधार पर पटटे को फर्जी कूटरचित किया है, परंतु इसी संबंध में संबंधित पंचायत से मूल पटटे की प्रति व रसीद आदि को प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श पी 9 ग्राम पंचायत हरनावां की ओर से जारी पत्र में यह भी लिखा है कि तत्काल सरपंच स्वयं समुद्र सिंह के कार्यकाल पर बना हुआ है व पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवायी गयी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कोई भी कथन आरोप पत्र में उल्लेखित नहीं किये गये है व किस आधार पर पटटे को फर्जी व कूटरचित माना जावें केवल मात्र पटटे का रिकॉर्ड पंचायत में नहीं होने के आधार पर इसे फर्जी व कूटरचित बताया गया है, परंतु इसी सबंध में दौराने साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो स्वयं पंचायत की ओर से जारी किये गये है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध कि अभियुक्त द्वारा छल कारित कर संपत्ति परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया गया हो व कूटरचित दस्तावेज की रचना कर उस दस्तावेज का उपयोग मूल्यवान प्रति प्राधिकारी के रूप में कर छल कारित किया हो एवं ऐसे दस्तावेज का उपयोग यह जानते हुये की दस्तावेज कूटरचित है के बाद भी असल के रूप में किया गया हो को साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। जिस आधार पर अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

28. अभियुक्त पीरदान सिंह पुत्र छोटूसिंह उम्र 63 साल निवासी हरनावा पीएस गच्छीपुरा हाल 613 ए अनुपम नगर भोपों का बाड़ा अजमेर पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर को

धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

29. निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।